

मध्यप्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 4-7/2009/नियम/चार  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर, 2009

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,  
समस्त संभागीय आयुक्त,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त कलेक्टर,  
मध्यप्रदेश ।

विषय - उच्च पद का अतिरिक्त कार्य करने हेतु दोहरा कार्य भत्ते का पुनरीक्षण ।

संदर्भ - इस विभाग का परिपत्र क्रमांक जी-25/10/94/सी/चार, दिनांक 28-12-1994

--\*\*\*--

वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञाप में निहित प्रावधानानुसार एक शासकीय सेवक को अपने कार्य के अलावा दूसरे उच्च पद के अतिरिक्त कार्य करने के लिये दोहरा कार्य भत्ता दिये जाने के प्रावधान को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

1. दोहरा कार्य भत्ता उच्च पद के "ग्रेड पे" के 20% के बराबर देय होगा ।
  2. उच्च पद का अतिरिक्त कार्य करने की अवधि 15 दिन से कम होने पर यह भत्ता देय नहीं होगा । किसी भी प्रकरण में इस भत्ते की अवधि एक साल से अधिक नहीं होगी ।
  3. दोहरा कार्यभत्ता उसी स्थिति में देय होगा जब किसी शासकीय सेवक को अपने कार्य के साथ-साथ अन्य उच्च पद के कार्य करने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा लिखित में आदेशित किया गया हो । यह भत्ता उन प्रकरणों में देय नहीं होगा जहां उच्च पद उसे निर्मित करने के दिनांक से अथवा विगत 1 वर्ष से अधिक की अवधि से रिक्त रहा हो ।
  4. दोहरा कार्य भत्ता की स्वीकृति का आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा इस परिपत्र के साथ सलंगन प्रपत्र में जारी किया जायेगा ।
  5. यह भत्ता पे-बैंड-4 के पदों एवं उससे उच्च पदों पर कार्य निर्वहन करने की स्थिति में देय नहीं होगा ।
- 2/ दोहरा कार्य भत्ता की स्वीकृति करने के पूर्ण अधिकार विभागाध्यक्ष को होंगे ।
- 3/ यह आदेश जारी होने की दिनांक से लागू होंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(मिलिन्द वाईकर)

उप सचिव,  
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

## प्रपत्र

### उच्च पद का अतिरिक्त कार्य करने के संबंध में विवरण/अनुशंसा/स्वीकृति

1. अधिकारी/कर्मचारी का नाम/पदनाम, पे-बैंड एवं ग्रेड-पे, जिसको दोहरा कार्यभत्ता स्वीकृत किया जाना है।
2. दोहरा कार्यभत्ता स्वीकृति की अवधि
3. ऊंचे पद का नाम, पे-बैंड और ग्रेड-पे, जिसके पद के कार्य के लिये व्यवस्था की गई है।
4. उपरोक्त व्यवस्था हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आदेश का क्रमांक एवं दिनांक ।  
(कृपया आदेश की प्रति संलग्न करें)

हस्ताक्षर  
सक्षम अधिकारी

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव / निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल /जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल / इंदौर/ ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी / आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल / माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव / सचिव / उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
16. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की और राजपत्र में प्रकाशन के लिए,
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/ मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी / उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।



( डी.के. सक्सेना )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग